कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ)

पत्रांकः- प0नि0प्र0/ 0072 लखनऊ/दिनांक- 05 जुलाई ~~जून~~, 2022

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण वितरण अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया विभागीय परिपत्र संख्या- 2909/प्रशा0/दिनांक 20-12-2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभागीय अराजपत्रित कार्मिकों के व्यक्तिगत देयो एवं उनके अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त प्रकरण जिसमें नियुक्ति, प्रोन्नति, ज्येष्ठता निर्धारण, अनुशासनिक कार्यवाही, लम्बित अवकाश प्रकरण, वेतन निर्धारण, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन, मृतक आश्रित नियुक्ति एवं सेवानैवृत्तिक लाभों के आदि के प्रकरणों की समीक्षा कर, निराकरण कराये जाने हेतु निदेशालय में परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

उक्त प्रकोष्ठ की जानकारी समस्त अराजपत्रित कार्मिकों को उपलब्ध कराने हेतु आपको पूर्व में निदेशालय के पत्रांक परि0नि0प्र0/4125/दिनांक 20-01-2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पत्र निर्गत किया गया था। जिसमे आपसे अपेक्षा की गयी थी की यह आपका व्यक्तिगत दायित्व होगा कि परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ (ग्रिवान्स सेल) के बारे में चाहे वह चतुर्थ श्रेणी के हो या अन्य वर्ग के उनको ये ज्ञात हो कि उनके निजी दावों/अधिष्ठान सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणों के शीघ्र समयबद्ध समाधान के लिये उसे प्रयाप्त एवं युक्ति संगत सुनवाई और अपना पक्ष रखने के लिये उचित माध्यम उपलब्ध करा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ में कार्मिकों द्वारा अपने कोई भी दावे/प्रकरण निस्तारण हेतु उपलब्ध न कराकर सीधे मा0 न्यायालयों में याचिकाएं योजित की जा रही है, जिससे विभाग में लम्बित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर शासन स्तर पर रोष व्यक्त किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त अराजपत्रित कार्मिकों को परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ (ग्रिवान्स सेल) के विषय में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दें। ताकि कार्मिकों के परिवेदना का समयबद्ध निस्तारण किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोपरि।

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- कोर्ट सेल/ दिनांक- उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ।
3. सहायक निदेशक (समन्वय कम्प्यूटर) कृषि भवन, लखनऊ को समस्त कार्यालयअध्यक्षों को पत्र ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त पंजीकृत एशोसियेशन/संघ को इस आशय से कि वह भी अपने स्तर से अपने सदस्यों को उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध कराना चाहें।

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ)

पत्रांकःपी0नि0प्र0(।)/ 4125 /प्रशा0/लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2014

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में विभिन्न कृषि विकास की योजनायें/कार्यक्रम विभागीय कार्मिकों की सहायता से संचालित किये जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक पूर्ण मनोयोग से विभागीय कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कुशलता का परिचय देकर कार्यक्रमों को उनके अपेक्षित अन्तिम परिणाम तक पहुँचाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

विभाग के नवीन कार्यक्रमों में जब हम अपने कर्मचारियों से उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य की आशा रखते है तो नियोक्ता/कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य हो जाता है कि कार्मिकों के निजी दावे यथा समय पर उन्हें मिल जाये ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और अनावश्यक उन्हें अपने दावों की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर परिवाद/वाद न करना पड़े इस हेतु निदेशायल में एक परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ(ग्रीवान्स सेल) जो कृषि विभाग के समस्त अराजपत्रित कार्मिक चाहें वे सेवा निवृत्त हो गये हों या राजकीय सेवा में हों के सेवा सम्बन्धी सभी लम्बित प्रकरणों के शीघ्र एवं त्वरित निरतारण के लिए स्थापित किया गया है।

परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ के गठन तथा कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध मे विभागीय परिपत्र संख्या2909/प्रशा0/दिनांक20-12-2013 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। प्रकोष्ठ के स्थापना सम्बन्धी परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

मैं इस पत्र के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि आप परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ "ग्रीवान्स सेल" के सम्बन्ध में विभाग के समस्त अराजपत्रित कार्मिकों को उनके निजी दावों/स्थापना सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु गठित प्रकोष्ठ की विषय वस्तु से अवगत करा दें, यह आपका व्यक्तिगत दायित्व होगा कि ग्रीवान्स सेल के बारे में चाहें वह चतुर्थ श्रेणी के हों या अन्य वर्ग के उनको यह ज्ञात हो कि उनके निजी दावों/अधिष्ठान सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणो के शीघ्र समयबद्ध समाधान के लिये उसे पर्याप्त और युक्ति संगत सुनवाई और अपना पक्ष रखने के लिए उचित माध्यम उपलब्ध करा दिया गया है।

आप अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी कोई भी प्रकरण यथा प्रोन्नति स्थाईकरण, वेतनबृद्धि, वेतन निर्धारण, प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य सेवा सम्बन्धी प्रकरण किसी भी कार्यालय में तीन माह से अधिक समय से लम्बित चल रहा है और अभी तक सक्षम अधिकारी के स्तर पर अनिर्णीत है तो वह उसे परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ "ग्रीवान्स सेल" कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश को निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत पत्र से प्रेषित कर सकता है। प्रकोष्ठ आवेदन को कम्प्यूटरीकृत कर एक नम्बर आवंटित करेगा तथा आवेदक को इसकी सूचना पत्र द्वारा दी जायेगी और यथा आवश्यकता उसे सुनवाई और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक के कई अन्य दावे हो तो उन्हें पृथक-2 आवेदन करना होगा। पंजीकृत पत्र में सरकारी डाक टिकटो का प्रयोग अवैध होगा, प्रार्थना-पत्र के प्रारूप में ही आवेदन मान्य होगें, आवेदक यदि चाहे तो आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग में अपने निजी दावों/सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण स्वच्छालेख में अंकित कर सकता है।

मैं पुनः यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ "ग्रीवान्स सेल" कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले आवेदनकर्ता के द्वारा दी गयी किसी सूचना/अभिलेखों के आधार पर किसी के विरुद्ध शिकायत नहीं माना जायेगा और इस बारे में निदेशालय के ग्रीवान्स सेल से किये गये पत्र व्यवहार के लिए वह भयमुक्त रहेगा।

प्रार्थना-पत्र संलग्न।

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

1 नाम व पदनाम

2 वर्तमान/अन्तिम कार्यालय का नाम

3 लम्बित दावे की प्रकृति

4 प्रकरण किस कार्यालय से सम्बन्धित है तथा कब से लम्बित है ?

5 लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु आप द्वारा किन–किन तिथियों को किस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र/प्रत्यावेदन दिया गया ?

6 कार्यालय द्वारा यदि आपको कोई उत्तर दिया गया है तो उसकी प्रति संलग्न करें, यदि अभी तक आपके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय के पटल सहायक का नाम पदनाम अंकित करें।

7 आपकी दृष्टि से आपके प्रार्थना–पत्र प्रत्यावेदन के निस्तारण में विलम्ब का क्या कारण रहा है ?

8 आप क्या अनुतोष चाहते है ?

9 आप अपने दावे के समर्थन में कोई नियम, शासनादेश विभागीय आदेश यदि प्रस्तुत करना चाहते हों तो उसकी प्रति संलग्न करें।

10 क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण हेतु इच्छुक हैं ?

आवेदन कर्ता का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम तथा
पत्र व्यवहार का पता दूरभाष सहित

नोटः–

1 प्रार्थना–पत्र में अनर्गल आक्षेप/आरोप वर्जित हैं, किन्तु बिन्दु संख्या–6 में आप द्वारा उल्लिखित विवरण संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया शिकायत नहीं मानी जायेगी।

2 प्रार्थना–पत्र/अभ्यावेदन पंजीकृत डाक से परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ, कृषि भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जाये। सरकारी डाक टिकटों का प्रयोग अवैध है।

3 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सम्बन्धित कार्मिक को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

Scanned with CamScanner